भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2201

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबीडीएम के कार्यान्वयन की स्थिति

†2201. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) तमिलनाडु राज्य में आज की तिथि तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) के अंतर्गत पंजीकृत नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने एबीडीएम के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की डिजिटल अवसंरचना की तैयारी का कोई मूल्यांकन किया है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या विशेषज्ञों ने एबीडीएम प्रणाली के अंतर्गत डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा या नागरिकों के स्वास्थ्य डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं; और
(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त चिंताओं को दूर करने और एबीडीएम रूपरेखा के अंतर्गत नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-क** में उपलब्ध कराई गई है।

(ग) और (घ): एबीडीएम के अंतर्गत अंतर-संचालनीय डिजिटल प्लेटफार्म और कुछ मॉड्यूलों के विकास के लिए अपेक्षित अवसंरचना का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया गया है और एबीडीएम के उद्देश्यों के अनुरूप इसकी पहचान की गई है। प्रशासनिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति, 'सैंडबॉक्स दिशानिर्देश', स्वास्थ्य सूचना प्रदाता दिशानिर्देश' आदि जैसे विभिन्न नीतिगत दस्तावेज तैयार किए गए हैं एवं एबीडीएम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) सभी हितधारकों को एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अपने समाधानों को एकीकृत करने हेतु

तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सहित आवश्यक सहायता प्रदान करता है। एबीडीएम को सभी राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाता है, जिसके तहत राज्यों को एबीडीएम के कार्यान्वयन, विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के लिए तैनात मानव संसाधनों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियाँ प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च): एबीडीएम डिजाइन द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करता है ताकि रोगी की सहमति के बाद ही एबीडीएम नेटवर्क पर संबंधित स्टेकहोल्डरों के बीच स्वास्थ्य आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, स्वास्थ्य डेटा का कोई केंद्रीकृत भंडार नहीं है। एबीडीएम के साथ एकीकृत करने से पहले, डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोगों को एक सैंडबॉक्स वातावरण में सत्यापित किया जाता है और वे वेब एप्लिकेशन सिक्योरिटी ऑडिट (डब्ल्यूएएसए) जैसे सुरक्षा ऑडिट से भी गुजरते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित हैं, संवेदनशील रोगी डेटा की रक्षा करते हैं और एबीडीएम की हेल्थ डाटा प्रबंधन नीति, 2020 का अनुपालन करते हैं। स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है।

अनुलग्नक-क

दिनांक 28 जुलाई, 2025 तक बनाए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) और स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) की राज्य-वार संख्या:

राज्य	आभा	एचएफआर	एचपीआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,55,870	250	970
आंध्र प्रदेश	4,64,67,084	20,982	62,706
अरुणाचल प्रदेश	4,21,833	581	2,787
असम	2,08,51,933	15,537	23,443
बिहार	5,31,05,029	16,220	37,071
चंडीगढ़	9,50,254	712	4,455
छत्तीसगढ़	2,34,52,988	11,418	23,490
दिल्ली	93,10,693	1,809	16,162
गोवा	9,15,048	1,001	3,271
गुजरात	4,85,64,533	17,902	22,348
हरियाणा	1,64,69,229	5,786	13,294
हिमाचल प्रदेश	62,06,138	4,218	4,227
जम्मू और कश्मीर	95,17,058	5,349	12,644
झारखंड	1,46,20,041	5,820	15,209
कर्नाटक	3,39,47,871	64,446	68,437
केरल	2,55,50,101	10,253	39,594
लद्दाख	3,93,400	391	1,044
लक्षद्वीप	1,06,388	50	274
मध्य प्रदेश	4,97,07,237	17,097	15,168
महाराष्ट्र	6,13,49,257	28,591	68,611
मणिपुर	11,10,548	650	3,006
मेघालय	13,98,693	768	2,761
मिजोरम	6,64,991	749	2,902
नागालैंड	7,63,538	1,303	1,574
ओडिशा	3,92,06,340	8,560	927
पुडुचेरी	11,65,689	416	3,398
पंजाब	1,51,45,804	8,576	15,206
राजस्थान	6,32,96,944	43,516	53,518
सिक्किम	4,51,229	238	1,628
तमिलनाडु	1,65,66,212	14,123	11,650
तेलंगाना	2,48,97,951	17,779	24,423
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8,35,651	483	1,163
त्रिपुरा	24,29,127	3,153	5,498
उत्तर प्रदेश	13,89,72,389	7,639	9,078
उत्तराखंड	71,34,607	68,226	95,741
पश्चिम बंगाल	4,88,01,710	12,456	937

नोट - यह उल्लेख करना है कि उपरोक्त डेटा में आंकड़ों में इन आभा संख्याओं के सामने राज्य के नाम के रूप में 1,19,47,360 आभा संख्या और 5,097 एचपीआर शामिल नहीं हैं और एचपीआर को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से आभा बनाए जाने के दौरान राज्य और जिला अनिवार्य नहीं थे। सितंबर 2023 से राज्य और जिला क्षेत्रों को जिलों को अनिवार्य कर दिया गया है।

*****